Office of the Comptroller & Auditor General of India
New Delhi -110 124

(For exclusive use in IA&AD and not to be quoted or published elsewhere)

Circular No.37- Staff (App 1)/2014
No.961- Staff (App 1)/15-2010
Dated 14.10.2014

To

1. All Heads of Department in the IA&AD
2. Pr Director (Exam)
3. Director General (Commercial)
4. Director (P)

Subject: **Revised Recruitment Rules to the post of Clerks in Accounts and Entitlement Offices and Clerks in Audit Offices. -reg.**

Sir/Madam,

I am to forward herewith a copy of the Indian Audit & Accounts Department (Clerks in Accounts and Entitlement Offices and Clerks in Audit Offices) Recruitment Rules, 2014. These Rules have been published in the Gazette of India Part-II Section 3(i) dated 7th June 2014 vide Ministry of Finance (Department of Expenditure) GSR No. 114 dated 3rd June 2014.

2. Further, in accordance with this office Circular No NGE/33/1987 issued under letter No. 301-N.2/46-87 dated 1.4.1987 which has also been incorporated in Para 9.6.6 of the revised Chapter IX of the C&AGs MSO (Admn) Vol-I, passing of type test is mandatory for Clerks. Clerks (except Direct Recruit Clerks sponsored by the Staff Selection Commission) who fail to qualify in the prescribed type test would not earn any increments nor become eligible for promotion to the post of Auditor/Accountant. Further, the Clerks who have not qualified the type test, would also not be allowed to appear in Departmental Examinations such as SAS, DEA etc. on passing of which promotion is given.

3. Therefore, the Clerks who have passed the type (skill) test on computers or have been exempted in accordance with the prescribed procedure from passing it shall only be eligible for any increments, confirmation, promotion by seniority and to appear in Departmental Examinations such as SAS, DEA etc. on passing of which promotion is given .

Yours faithfully,

Singh 14/10/14

(Ranjit Singh)
Assistant C & A G (N)

Encl: As above.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, जून 1—जून 7, 2014, शनिवार/ज्येष्ठ 11—ज्येष्ठ 17, 1936

No. 23] NEW DELHI, JUNE 1—JUNE 7, 2014, SATURDAY/JYAISTHA 11—JYAISTHA 17, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 3 जून, 2014

सा.का.नि. 114 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग (लिपिक), भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग (लेखा और हकदारी कार्यालयों में लिपिक और लेखापरीक्षा कार्यालयों में लिपिक) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा ।

7. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. लिपिक (लेखा और हकदारी कार्यालयों में)	2725* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जा रही है वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण । (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति ।	हां, स्तंभ 10 में उपदर्शित सीमा तक ।	दो वर्ष

(7)
(प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डीप्रेशन के साथ 10500 की डीप्रेशन प्रति घंटा या 9000 की डीप्रेशन प्रति घंटा, 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, के तत्स्थानी हैं ।)

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 10% रिक्तियां 1800 रु. के ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारिवृंद से भरी जाएंगी और जो 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता रखते हों और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो । परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है । (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50 वर्ष) **टिप्पण :** यदि खंड (ii) के अधीन रिक्तियों के मुकाबले ऐसे अधिक कर्मचारी उपलब्ध हैं, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो ऐसे अधिक कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि किसी पहले आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर बाद में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाए । (iii) 5% रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर समूह 'ग' कर्मचारी, और जो 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता रखते हैं, जिन्होंने 1800 रु. के ग्रेड वेतन के पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, से ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी ।	**प्रोन्नति :** (i) 10% रिक्तियां 1800 रु. के ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारिवृंद से भरी जाएंगी और जो 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता रखते हों और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो । परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है । (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के के लिए आयु 50 वर्ष) **टिप्पण :** यदि खंड (i) के अधीन रिक्तियों के मुकाबले ऐसे अधिक कर्मचारी उपलब्ध हैं, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो ऐसे अधिक कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि किसी पहले आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर बाद में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाए । (iii) 5% रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर समूह 'ग' कर्मचारी, और जो 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता रखते हैं, जिन्होंने 1800 रु. के ग्रेड वेतन के पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, से ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण अथवा प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. वरिष्ठ उप महालेखाकार या उप महालेखाकार या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी जो प्रशासन समूह का भारसाधक हो —अध्यक्ष 2. वरिष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उपनिदेशक या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (जो उस कार्यालय से भिन्न कार्यालय का हो जिसमें प्रोन्नति के बारे में विचार किया जा रहा है) —सदस्य 3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. लिपिक (लेखा परीक्षा कार्यालयों में)	2833* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जा रही है वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डीप्रेशन के साथ 10500 की डीप्रेशन प्रति घंटा या 9000 की डीप्रेशन प्रति घंटा, 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, के तत्स्थानी हैं।)	हां, स्तंभ 10 में उपदर्शित सीमा तक।	दो वर्ष

(10)	(11)
(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (i) 10% रिक्तियां 1800 रु. के ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारिवृंद से भरी जाएंगी और जो 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता रखते हों और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50 वर्ष) **टिप्पण :** यदि खंड (ii) के अधीन रिक्तियों के मुकाबले ऐसे अधिक कर्मचारी उपलब्ध हैं, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो ऐसे अधिक कर्मचारियों पर पश्चात्‌वर्ती वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि किसी पहले आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर बाद में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाए।	**प्रोन्नति :** (i) 10% रिक्तियां 1800 रु. के ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारिवृंद से भरी जाएंगी और जो 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता रखते हों और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के के लिए आयु 50 वर्ष) **टिप्पण :** यदि खंड (i) के अधीन रिक्तियों के मुकाबले ऐसे अधिक कर्मचारी उपलब्ध हैं, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो ऐसे अधिक कर्मचारियों पर पश्चात्‌वर्ती वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि किसी पहले आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर बाद में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाए।

(10)	(11)
(iii) 5% रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर समूह 'ग' कर्मचारी, और जो 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता रखते हैं, जिन्होंने 1800 रु. के ग्रेड वेतन के पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, से ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी ।	(ii) 5% रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर समूह 'ग' कर्मचारी, और जो 12वीं कक्षा या समतुलय अर्हता रखते हैं, जिन्होंने 1800 रु. के ग्रेड वेतन के पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, से ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण अथवा प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. वरिष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप-निदेशक या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी जो प्रशासन समूह का भारसाधक हो —अध्यक्ष 2. वरिष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महा-लेखाकार या उपनिदेशक या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (जो उस कार्यालय से भिन्न कार्यालय का हो जिसमें प्रोन्नति के बारे में विचार किया जा रहा है) —सदस्य 3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/1/2010-ई.जी.]

सुभाष चंद, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 3rd June, 2014

G.S.R. 114 .—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution an in supersession of the Indian Audit and Accounts Department, Clerks Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department to the posts of Clerks, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Clerks in Accounts and Entitlement Offices and Clerks in Audit Offices) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall be applicable to the posts specified in column (1) of Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No-person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds fer so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Clerk (in Accounts and Entitlement offices)	2725* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 1900	Non-Selection	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, curcial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) 12th class or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 wards per minute correspond to 10500 Key Depression Per Hour or 9000 Key Depression Per Hour respectively on an average of 5 key depressions for each words.)	Yes, to the extent as indicated in column (10).	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation or absorption to be made
(10)	(11)
(i) 85 percent by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10 percent of the vacancies shall be filled from amongst	**Promotion :** (i) 10 percent of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in the grade pay of Rs. 1800 and who

(10)	(11)
the Group 'C' Staff in the grade pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe candidates). **Note :** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5 percent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from amongst the Group 'C' Staff in the grade pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade.	possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe candidates). **Note :** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (i) qualified at the examination such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (ii) 5 percent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from amongst the Group 'C' Staff in the grade pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation or promotion) consisting of : 1. Senior Deputy Accountant General or Deputy Accountant General or an officer of equivalent rank in-charge of Administration group —Chairman 2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank (from an office other than the one in which promotions are considered) —Member 3. Senior Accounts Officer or Accounts officer —Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Clerk (in Audit offices).	2833* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 1900	Non-Selection	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, curcial date for

(6)
determining the age limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)
(i) 12th class or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depression Per Hour or 9000 Key Depression Per Hour respectively on an average of 5 key depressions for each words.)	Yes, to the extent as indicated in column (10)	Two years

(10)	(11)
(i) 85 percent by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10 percent of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in the grade pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe candidates). **Note :** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5 percent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from amongst the Group 'C' Staff in the grade pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade.	**Promotion** : (i) 10 percent of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in the grade pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe candidates). **Note :** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (i) qualified at the examination such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (ii) 5 percent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from amongst the Group 'C' Staff in the grade pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation or promotion) consisting of : 1. Senior Deputy Accountant General or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank in-charge of Administration group —Chairman	Not applicable.

316k

(12)	
2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank (from an office other than the one in which promotions are considered)	—Member
3. Senior Audit Officer or Audit officer	—Member

[F. No. A-12018/1/2010-E.G.]

SUBHASH CHAND, Dy. Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 मई, 2014

सा.का.नि. 115 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में इलैक्ट्रोनिक आंकड़ा प्रक्रमण के समूह 'क' और समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इलैक्ट्रोनिक आंकड़ा प्रक्रमण के समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ।

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।